न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांकः 29.01.2024

प्रकरण सख्याः 01/24

जीसीएमएस नं. 2024/8

उनवान

1 बदनसिंह जाटव पुत्र रमेश चन्द जाटव माता शीतल देवी जाति जाटव निवासी ग्राम मैनापुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर हाल निवासी करीरी जिला करौली राज.।

2 सुफेदी बाई पत्नी केदार लाल जाटव पुत्री सिल्ली जाति जाटव निवासी ग्राम मैनापुरा तहसील भुसावर हाल निवासी करीरी जिला करौली राज.। ——अपीलाण्ट

बनाम

1 ग्राम पंचायत मैनापुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मैनापुरा पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर राज.। ——रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. 1956
विरूद्ध नामा. सं. 1264 दिनांक 05.02.2011
ग्राम पंचायत मैनापुरा पं.स. भुसावर

अधिवक्ताः—
1 श्री राजेश कुमार पाण्डेय ——अपी.

निर्णय दिनांक 03.02.2026

वकील अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या—1 की माता शीतल देवी की विरासत का दाखिला पहले ही खुल चुका है जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है। जिसमें अपीलान्ट संख्या—1 बदनसिंह जाटव पुत्र शीतल देवी का नाम निर्णय दिनांक 05.02.2011 को ग्राम पंचायत मैनापुरा तहसील भुसावर में इन्तकाल संख्या 1264 सामान आराजी खाता नम्बर 58 खसरा नम्बर 999, 1000 में विरासत के रूप में गलत अंशु पुत्र शीतल हिस्सा 1/7 के रूप में दर्ज हो चुका है एवं अपीलान्ट संख्या—2 सुफेदी बाई पुत्री सिल्ली का नाम निर्णय दिनांक 05.02.2011 को ग्राम पंचायत मैनापुरा तहसील भुसावर में इन्तकाल संख्या 1264 पर विरासत के रूप में गलत सुपीता पुत्री सिल्ली हिस्सा 3/7 के रूप में दर्ज हो चुका है। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण (दाखिला खारिज) को तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत मैनापुरा तहसील भुसावर दिनांक 19.11.2010 को पेश किया गया, जिसे ग्राम पंचायत मैनापुरा तहसील भुसावर में तस्दीक कर दिया। उक्त दाखिल खारिज पटवार हल्का मैनापुरा द्वारा ग्राम पंचायत मैनापुरा में पेश होने पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत मैनापुरा ने कोई नोटिस अपीलान्ट संख्या—1 व 2 को नहीं दिया और अपीलान्ट को बिना सुने व बिना नोटिस दिये ग्राम पंचायत मैनापुरा के द्वारा नामान्तकरण इन्तकाल संख्या 1264 निर्णय दिनांक 05.02.2011 को अपीलान्ट संख्या—1 बदनसिंह जाटव पुत्र शीतल देवी का नाम निर्णय दिनांक 05.02.2011 को ग्राम पंचायत मैनापुरा तहसील भुसावर में इन्तकाल संख्या 1264 पर विरासत के रूप में गलत अंशु पुत्र शीतल हिस्सा 1/7 के रूप में दर्ज हो चुका है एवं अपीलान्ट संख्या—2 सुफेदी बाई पुत्री सिल्ली का नाम निर्णय दिनांक 05. 02. 2011 को ग्राम पंचायत मैनापुरा तहसील भुसावर में इन्तकाल संख्या 1264 पर विरासत के रूप में गलत सुपीता पुत्री सिल्ली हिस्सा 3/7 के रूप में दर्ज हो चुका है। अतः इसी हद तक उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध यह अपील न्यायालय श्रीमान में निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है:—

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

(अ) यह कि योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत मैनापुरा ने अपीलाधीन नामान्तकरण (दाखिला खारिज) न्तकाल संख्या 1264 निर्णय दिनांक 05.02.2011 के आराजी खाता नम्बर 58 खसरा नम्बर 999, 1000 में पीलान्ट संख्या–1 बदनसिंह जाटव पुत्र शीतल देवी का नाम के स्थान पर निर्णय दिनांक 05.02.2011 को ग्राम पंचायत मैनापुरा तहसील भुसावर में इन्तकाल संख्या 1264 पर विरासत के रूप में गलत अंशु पुत्र शीतल हिस्सा 1/7 के रूप में दर्ज हो चुका है एवं अपीलान्ट संख्या–2 सुफेदी बाई पुत्री सिल्ली का नाम के स्थान पर निर्णय दिनांक 05.02.2011 को ग्राम पंचायत मैनापुरा तहसील भुसावर में इन्तकाल संख्या 1264 पर विरासत के रूप में गलत सुपीता पुत्री सिल्ली हिस्सा 3/7 के रूप में दर्ज हो चुका है।

(ब) यह कि योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत मैनापुरा में उक्त नामान्तकरण इन्तकाल संख्या 1264 के निर्णीत करने से पूर्व कोई नोटिस अपीलान्ट को नहीं दिया। उक्त नामान्तकरण दाखिल खारिज इन्तकाल संख्या 1264 आराजी खाता नम्बर 58 खसरा नम्बर 999, 1000 में जैर अपील में अपीलान्ट संख्या–1 का नाम बदनसिंह जाटव पुत्र शीतल देवी के स्थान पर अंशु पुत्र शीतल देवी एवं सुफेदी बाई पुत्री सिल्ली के स्थान पर सुपीता पुत्री सिल्ली स्वीकृत करना सरासर सत्यता के विपरीत है जिसमें ग्राम पंचायत ने अपने स्व विवेक का भी ठीक प्रकार से उपयोग करने में भारी कानूनी भूल की है और न इस बावत अपीलान्ट को सुना गया है। उक्त नामान्तकरण (दाखिला खारिज) इन्तकाल संख्या 1264 आराजी खाता नम्बर 58 खसरा नम्बर 999, 1000 में अपीलान्ट संख्या–1 का नाम बदनसिंह जाटव पुत्र शीतल देवी के स्थान पर अंशु पुत्र शीतल देवी एवं सुफेदी बाई पुत्री सिल्ली के स्थान पर सुपीता पुत्री सिल्ली अंकित रहने से अपीलान्ट के हितों व हकूकों पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतः अपीलान्ट को यह अपील न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करना अति आवश्यक हो गया है।

(स) यह कि उक्त नामान्तकरण (दाखिला खारिज) जैर अपील में गलत नाम अंकित होने की जानकारी अपीलान्ट को पहले किसी प्रकार नहीं हो सकी। अपीलान्ट ने अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये दिनांक 23.01.2024 को जमाबन्दी की नकल निकलवाई तब अपीलान्ट को अपीलाधीन दाखिल खारिज में गलत इन्द्राजी की प्रथम बार जानकारी हुई। इस प्रकार अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है।

अपीलाण्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत व पटवार हल्का मैनापुरा तह. भुसावर के नामान्तकरण संख्या 1264 निर्णय दिनांक 05.02.2011 के वर्तमान आराजी खाता संख्या 58 खसरा नंबर 999, 1000 में अपीलान्ट संख्या–1 का गलत नाम अंशु पुत्र शीतल देवी के स्थान पर सही नाम बदनसिंह जाटव पुत्र शीतल देवी किया जावे एवं गलत नाम सुपीता पुत्री सिल्ली के स्थान पर सही नाम सुफेदी बाई पुत्री सिल्ली किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट की तलवी जरिये सम्मन की गई। बाद तामील कोई उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया। अतः उक्त आधार पर हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत मैनापुरा के नामान्तरकरण संख्या 1264 दिनांक 05.02.2011 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, भुसावर को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत व पटवार हल्का मैनापुरा तह. भुसावर के नामान्तकरण संख्या 1264 निर्णय दिनांक 05.02.2011 के वर्तमान आराजी खाता संख्या 58 खसरा नंबर 999, 1000 में अपीलान्ट संख्या–1 का गलत नाम अंशु पुत्र शीतल देवी के स्थान पर सही नाम बदनसिंह जाटव पुत्र शीतल देवी किया जावे एवं गलत नाम सुपीता पुत्री सिल्ली के स्थान पर सही नाम सुफेदी बाई पुत्री सिल्ली किया जावे। तहसीलदार भुसावर को कैफियत जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर भरतपुर राज.

दिनांकः

क्रमांक / कोर्ट / 26 /

तहसीलदार,
तहसील भुसावर।

विषयः– उनवान बदनसिंह वगै. बनाम सरपंच ग्रा.पं. मैनापुरा प्रकरण संख्या 01 / 24 (2024 / 8) अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1264 में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा में उनवानी प्रकरण बदनसिंह वगै. बनाम सरपंच ग्रा.पं. मैनापुरा अन्तर्गत अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1264 दिनांक 05.02.2011 विचाराधीन चल रहा था। जिसका निर्णय दिनांक 03.02.2026 को जारी की किया गया। अतः उक्त प्रकरण की छायाप्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है। प्रकरण में नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)